

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 641] No. 641] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 9 सितम्बर, 2016

सं.फेमा. 375/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि. 879(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

4385 GI/2016 (1)

2. अनुसूची 1 में संशोधन:-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) की अनुसूची-1 के अनुबंध "बी" में पैराग्राफ सं. एफ़.8 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ़. 8	अन्य वित्तीय सेवाएँ						
	वित्तीय सेवा विनियमकों जैसे:- भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बीमा	100%	स्वचालित मार्ग से				
	विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA), पेंशन निधि विनियामक						
	और विकास प्राधिकरण (PFRDA), राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)						
	अथवा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी अन्य वित्तीय						
	क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित वित्तीय सेवाओं से संबद्ध गतिविधियां।						
	अन्य शर्तें						
एफ़. 8.1	अन्य रात						
	i. "अन्य वित्तीय सेवाओं" संबंधी गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश संबंधित विनियामक संस्था/						
	सरकारी एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित विभिन्न शर्तों के अधीन होगा।						
	ii. "अन्य वित्तीय सेवाओं" संबंधी गतिविधियाँ वित्तीय क्षेत्र की किसी न किसी एक विनियामक संस्था द्वारा						
	विनियमित की जानी चाहिए। जहां वित्तीय क्षेत्र संबंधी सेवाएँ किसी विनियामक संस्था द्वारा विनियमित न की जाती हो अथवा वित्तीय सेवाओं का कोई अंश मात्र ही विनियमित किया जाता हो						
	अथवा विनियामक ढांचे के बारे में संभ्रम की स्थिति हो, ऐसे मामलों में इस प्रकार की वित्तीय						
	गतिविधियों में 100% विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमत होगा और उस पर						
	न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों सहित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें भी लागू होंगी।						
	iii. यदि कोई गतिविधि विशेष रूप से किसी अधिनियम के तहत विनियमित की जाती है, तो उसके लिए						
	विदेशी निवेश की सीमाएं उस सीमा/ लेवेल तक प्रतिबंधित होगी, जो संबंधित अधिनियम में विनिर्दिष्ट						
	की गई हो और अधिनियम में उसका उल्लेख हो।						
	iv. "अन्य वित्तीय सेवाओं" संबंधी गतिविधियों में शामिल किसी भी एंटिटी द्वारा किए जाने वाले						
	डाउनस्ट्रीम निवेश वर्तमान सेक्टोरल विनियमों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी						
	किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अधीन						
	<u>होंगे</u> ।						

[सं. 1/19/ई एम-2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :-मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं. 406 (अ) भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013

सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015 सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015 सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015

सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015 सा.का.नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015 सा.का.नि. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016 सा.का.नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th September, 2016

No. FEMA. 375/2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 879(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Thirteenth Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 1

In Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in Annex B, Paragraph F.8 shall be substituted by the following, namely:-

F.8	Other	Financial Services				
	regulat other f	ial Services activities regulated by financial sector ors, viz., RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, NHB or any inancial sector regulator as may be notified by the ment of India.	100%	Automatic		
F.8.1	Other	Conditions				
	 Foreign investment in 'Other Financial Services' activities shall be subject conditionalities, including minimum capitalization norms, as specified by the concer Regulator/Government Agency. 					
	ii.	ii. 'Other Financial Services' activities need to be regulated by one of the Financial Sector Regulated In all such financial services activity which are not regulated by any Financial Sector Regulated where only part of the financial services activity is regulated or where there is doubt regarding regulatory oversight, foreign investment up to 100% will be allowed under Government appropriate subject to conditions including minimum capitalization requirement, as may be decided by Government.				
	iii. Any activity which is specifically regulated by an Act, the foreign investment limi restricted to those levels/limit that may be specified in that Act, if so mentioned.					
	iv. Downstream investments by any of these entities engaged in "Other Financial Service subject to the extant sectoral regulations and <u>provisions of Foreign Exchange Man</u> (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, amended from time to time."					

[No. 1/19/EM/2016]

Foot Note:- The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-ection (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013 G.S.R.No. G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014 G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015 G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012 G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015 G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012 G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015 G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015 G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015 G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012 G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 G.S.R.No. 983 (E) dated 17.12.2015 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013 G.S.R.No. 165 (E) dated 15.02.2016 G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013 G.S.R.No. 166 (E) dated 15.02.2016 G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013 G.S.R.No. 369 (E) dated 30.03.2016 G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013 G.S.R.No. 537 (E) dated 20.05.2016